शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ... जकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल– registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2–1–2 / 416 / सीट वृद्धि / 2021 / 954 रायगढ़, दिनाँक 17.09.2021

/ / आदेश / /

छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 17–59 / 2021 / 38–2, दिनांक 03.09.2021 द्वारा अनुमति एवं विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्र / 2–1–2 / सम्बद्धता निरीक्षण / 416 / 2021 / 874 रायगढ दिनांक 07.09.2021 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर जी.आर.डी महाविद्यालय पामगढ जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से निम्नांकित सीट वृद्धि एवं अतिरिक्त अनुभाग पाठ्यक्रम प्रांरभ करने हेतु विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	विषय / पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	पी.जी.डी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	50 सीट
02	बी.ए.– संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य (अतिरिक्त अनुभाग)	50 सीट

शासन द्वारा निर्धारित शर्ते :–

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन किया जाए।
2. परिनियम 28 अंतर्गत शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जाए।
3. पाठ्यकम के अनुसार पुस्तके, उपकरण एवं फर्नीचर क्रय की जाए।
4. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जाए।
5. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए।
6. कंडिका 18 की पूर्ति की जाए।
7. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त संबद्धता संबधी शर्तो को समय–सीमा में पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
8. समस्त शर्तो को पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा संचालनालय को की गई कार्यवाही से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
9. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिये ही मान्य होगा।

उल्लेखित शर्तो का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 15.10.2021 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे प्रदत्त नवीन विषय संबधी आदेश आगामी सत्र से स्वयं समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2–1–2 / 416 / सीट वृद्धि / 2021 / 955 रायगढ़, दिनाँक 17.09.2021

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव,छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, जी.आर.डी महाविद्यालय पामगढ़ जिला–जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17/9/21

प्रभारी अधिकारी (अका.)